हिमाचल प्रदेश सरकार,
जनजातीय विकास विभाग

संख्याःटी.बी.डी.(ए)3–2/2006 तारीख, शिमला 3rd जुलाई,2012

अधिसूचना

हिमाचल प्रदेश की राज्यपाल, भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रद्त्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए,हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के परामर्श से, हिमाचल प्रदेश जन जातीय विकास विभाग में संगणक एवं टंकक, वर्ग – III (अराजपत्रित) के पद के लिए इस अधिसूचना से संलग्न उपाबन्ध "क" के अनुसार भर्ती और प्रोन्नति नियम बनाती हैं, अर्थात्:–

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ। 1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम, हिमाचल प्रदेश जन जातीय विकास विभाग संगणक एवं टंकक, वर्ग – III(अराजपत्रित) भर्ती और प्रोन्नति नियम, 2012 है।

(2) ये नियम राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में प्रकाशित किए जाने की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

निरसन और व्यावृत्तियां। 2. (1) अधिसूचना संख्या टी.डी.(ए)3–7/82, तारीख 26 जुलाई, 1984 द्वारा अधिसूचित और समय–समय पर यथासंशोधित हिमाचल प्रदेश शेड्यूल्ड कास्टस डिवेलपमेन्ट डिपार्टमेन्ट कम्पयूटर–कम–टाईपिस्ट (क्लास–III नॉन गजेटेड) रिक्रूटमेण्ट एण्ड प्रमोशन रूल्ज, 1984 का एतद् द्वारा निरसन किया जाता है।

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी उपर्युक्त उप नियम 2 (1) के अधीन इस प्रकार निरसित नियमों के अधीन की गई कोई नियुक्ति, बात या कार्रवाई, इन नियमों के अधीन विधिमान्य रूप में की गई समझी जाएगी।

आदेश द्वारा,

(प्रेम कुमार)
अतिरिक्त मुख्य सचिव (जन जातीय विकास)
हिमाचल प्रदेश सरकार

पृ0 संख्याः टी.बी.डी.(ए)3–2/2006 तारीख शिमला–2 3rd जुलाई, 2012

1. समस्त प्रशासनिक सचिव, हिमाचल प्रदेश सरकार, शिमला–171 002
2. प्रधान महालेखाकार (आडिट), हिमाचल प्रदेश, शिमला–171 003
3. सचिव हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग शिमला–2।
4. नियंत्रक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री विभाग, हि0 प्र0 शिमला–171 005 को असाधारण राजपत्र में प्रकाशन करने हेतू ।
5. सहायक विधि परामर्शी एवं अवर सचिव (विधि) हिमाचल प्रदेश सरकार, शिमला–171 002
6. आयुक्त, जन जातीय विकास विभाग, हिमाचल प्रदेश शिमला–2.
7. अतिरिक्त आयुक्त, जन जातीय विकास विभाग, हिमाचल प्रदेश शिमला–2.
8. अतिरिक्त प्रतियां 150

हस्ताक्षरित
(अनुपम कश्यप)
संयुक्त सचिव (जन जातीय विकास),
हिमाचल प्रदेश सरकार।

अनुबन्ध ''क''

जन जातीय विकास विभाग में संगंणक एवं टंकक,वर्ग–III(अराजपत्रित)के पद के लिए भर्ती और प्रोन्नति नियम

1	पद का नाम	संगणक एवं टंकक
2	पदों की संख्या	5 (पांच)
3	वर्गीकरण	वर्ग–III (अराजपत्रित)
4	वेतनमान	I) नियमित पदधारियों के लिए वेतनमानः– पै बैन्डः पी0बी0–2 5910–20200+1900 रूपए ग्रेड पे II) संविदा कर्मचारियों के लिए उपलब्धियांः स्तम्भ संख्या 15–क में दिए गए ब्यौरे के अनुसार 7810 रूपये प्रतिमास ।
5	चयन पद अथवा अचयन पद	अचयन
6	सीधी भर्ती के लिए आयु	18 से 45 वर्षः

परन्तु सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए ऊपरी आयु सीमा, तदर्थ या संविदा के आधार पर नियुक्त किए गए व्यक्तियों सहित, पहले से ही सरकार की सेवा में रत अभ्यर्थियों को लागू नहीं होगीः

परन्तु यह और कि यदि तदर्थ या संविदा के आधार पर नियुक्त किया गया अभ्यर्थी इस रूप में नियुक्ति की तारीख को अधिक आयु का हो गया हो, तो वह तदर्थ या संविदा के आधार पर नियुक्ति के कारण विहित आयु में छूट के लिए पात्र नहीं होगा :

परन्तु यह और कि अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य वर्गो के व्यक्तियों के लिए ऊपरी आयु सीमा में उतनी ही छूट दी जा सकेगी, जितनी हिमाचल प्रदेश सरकार के साधारण या विशेष आदेश(आदेशों) के अधीन अनुज्ञेय हैः

परन्तु यह और भी कि पब्लिक सैक्टर, निगमो तथा स्वायत निकायों के सभी कर्मचारियों को जो ऐसे पब्लिक सैक्टर, निगमों तथा स्वायत निकायों के प्रारम्भिक गठन के समय ऐसे पब्लिक सैक्टर, निगमों/ स्वायत निकायो में आमेलन से पूर्व सरकारी कर्मचारी थे, सीधी भर्ती में आयु सीमा में ऐसी ही रियायत दी जाएगी जैसी सरकारी कर्मचारियों को अनुज्ञेय है, किन्तु इस प्रकार कि रियायत पब्लिक सैक्टर, निगमों तथा स्वायत निकायों के ऐसे कर्मचारीवृन्द को नही दी जाएगी जो पश्चात्वर्ती ऐसे निगमों/स्वायत निकायों द्वारा नियुक्त किए गए थे /किए गए हैं और उन पब्लिक सैक्टर, निगमों / स्वायत निकायों के प्रारम्भिक गठन के पश्चात निगमों/ स्वायत निकायों की सेवा में अन्तिम रूप से आमेलित किये गये है / किए गए थे ।

(1) सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा की गणना उस वर्ष के प्रथम दिवस से की जाएगी जिसमें पद (पदों) को आवेदन आमंत्रित करने के लिए यथास्थिति, विज्ञापित किया गया है या नियोजनालयों को अधिसूचित किया गया हैं ।

(2) अन्यथा सुआर्हित अभ्यर्थियों कि दशा में सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा और अनुभव, हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार शिथिल किया जा सकेगा।

7	सीधी भर्ती के लिए अपेक्षित न्यूनतम शैक्षिक और अन्य अर्हताएंः	**<u>क) अनिवार्य अर्हताएंः</u>** (1) किसी मान्यता प्राप्त स्कूल शिक्षा बोर्ड/ विश्वविद्यालय से 10+2 की परीक्षा पास की हो या इसके समतुल्य । (2) किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से कम से कम छः मास का कम्पयूटर डिप्लोमा । (3) अंग्रेजी टंकण में कम से कम तीस शब्द प्रति मिनट और हिन्दी टंकण में पच्चीस शब्द प्रति मिनट की गति रखता हो। **<u>ख) वांछनीय अर्हताः</u>** हिमाचल प्रदेश की रूढियों, रीतियों और बोलियों का ज्ञान और प्रदेश में विद्यमान विशिष्ट दशाओं में नियुक्ति के लिए उपयुक्तता।
8	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं:	आयु : लागू नहीं शैक्षिक अर्हता : लागू नहीं
9	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई होः	दो वर्ष, जिसका एक वर्ष से अनधिक ऐसी और अवधि के लिये विस्तार किया जा सकेगा, जैसा सक्षम प्राधिकारी विशेष परिस्थितियों में और लिखित कारणों से आदेश दे।
10	भर्ती की पद्धतिः भर्ती सीधी होगी या प्रोन्नति, प्रतिनियुक्ति, स्थानान्तरण द्वारा और विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरे जाने वाले पदों की प्रतिशतताः	शत प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा,यथास्थिति , नियमित आधार पर या संविदा के आधार पर भर्ती द्वारा। ऐसा न होने पर स्थनान्तरण / सेकण्डमेण्ट आधार पर। संविदा पर नियुक्त कर्मचारी स्तम्भ 15-क में दी गई उपलब्धियां प्राप्त करेंगे। और उक्त स्तम्भ में विनिर्दिष्ट सेवा शर्तो द्वारा विनियमित होंगे।
11	प्रोन्नति, प्रतिनियुक्ति, स्थानान्तरण की दशा में श्रेणियाँ (ग्रेड) जिनसे प्रोन्नति/ सेकण्डमैण्ट, स्थानान्तरण किया जाएगाः	स्तम्भ संख्या 7 में दी गई अनिवार्य अहर्ता और हिमाचल प्रदेश सरकार के अन्य विभागों में समतुल्य पद (पदों)और समरूप वेतनमान रखने वाले कर्मचारियों में से <u>स्थानान्तरण/सैकण्डमैण्ट</u> आधार पर ।
12	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति विद्यमान हो, तो उसकी संरचनाः	लागू नहीं।
13	भर्ती करने में जिन परिस्थितियों में हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगाः	जैसा विधि द्वारा अपेक्षित हो।
14	सीधी भर्ती के लिए अनिवार्य अपेक्षाः	किसी सेवा या पद पर नियुक्ति के लिए अभ्यर्थी का भारत का नागरिक होना अनिवार्य है।

15	सीधी भर्ती द्वारा पद पर नियुक्ति के लिए चयन	सीधी भर्ती के मामले में पद पर नियुक्ति के लिये चयन मौखिक परीक्षा के आधार पर किया जाएगा। यदि, यथास्थिति, हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग या अन्य भर्ती प्राधिकरण ऐसा करना आवश्यक या समीचीन समझे, तो लिखित परीक्षा या व्यावहारिक परीक्षा के आधार पर किया जाएगा, जिसका स्तर/पाठ्यक्रम आदि, यथास्थिति, आयोग / अन्य भर्ती प्राधिकरण द्वारा अवधारित किया जाएगा।

15 क संविदा नियुक्ति द्वारा पद पर नियुक्ति के लिए चयनः

इन नियमों में किसी बात के होते हुए भी पद पर संविदा नियुक्तियां नीचे दिए गए निबन्धनों और शर्तो के अध्यधीन की जाएगीः–

(1) <u>संकल्पना</u>

(क) इस पॉलिसी के अधीन जन जातीय विकास विभाग, हिमाचल प्रदेश में संगणक एवं टंकक को संविदा के आधार पर प्रारम्भ में एक वर्ष के लिए लगाया जाएगा, जिसे वर्षानुवर्ष आधार पर बढ़ाया जा सकेगाः

परन्तु वर्षानुवर्ष आधार पर संविदा की अवधि के विस्तारण/नवीकरण हेतु विभागाध्यक्ष यह प्रमाण पत्र जारी करेगा कि वर्ष के दौरान संविदा कर्मचारी की सेवा और आचरण, संतोषजनक रहा है और केवल तभी उसकी संविदा की अवधि को नवीकृत/विस्तारित किया जा सकेगा।

(ख) <u>पद का हिमाचल प्रदेश अधीनस्थ सेवाएं चयन बोर्ड के कार्यक्षेत्र में आनाः–</u>

आयुक्त (जन जातीय विकास), हिमाचल प्रदेश, रिक्त पदों को संविदा के आधार पर भरने के लिए सरकार का अनुमोदन प्राप्त करने के पश्चात् अध्यपेक्षा को सम्बन्ध भर्ती अभिकरण, अर्थात् हिमाचल प्रदेश अधीनस्थ सेवाएं चयन बोर्ड, हमीरपुर के समक्ष रखेगा।

(ग) चयन, इन नियमों में विहित पात्रता शर्तो के अनुसार किया जाएगा

<u>(II) संविदात्मक उपलब्धियां ।</u>

संविदा के आधार पर नियुक्त संगणक–एवं–टंकक को 7810/– रूपए की समेकित नियम संविदात्मक रकम (जो पे बैण्ड के न्यूनतम जमा ग्रेड पे के बराबर होगी) प्रतिमास संदत्त की जाएगी। यदि संविदा में एक वर्ष से अधिक की बढौतरी की जाती है, तो पश्चात्वर्ती वर्ष (वर्षो) के लिए संविदात्मक उपलब्धियों में 240/– रूपए की रकम (पद के पे बैन्ड के न्यूतम जमा ग्रेड पे का तीन प्रतिशत) वार्षिक वृद्धि के रूप में अनुज्ञात की जाएगी।

<u>(III) नियुक्ति/ अनुशासन प्राधिकारीः</u>

आयुक्त (जन जातीय विकास) हिमाचल प्रदेश, नियुक्ति और अनुशासन प्राधिकारी होगा।

<u>(IV) चयन प्रकियां</u>

संविदा नियुक्ति की दशा में पद पर नियुक्ति के लिए चयन, मौखिक परीक्षा के आधार पर किया जाएगा या यदि आवश्यक या समीचीन समझा जाए, तो लिखित परीक्षा या व्यावहारिक परीक्षा के आधार पर किया जाएगा जिसका स्तर/ पाठ्यक्रम इत्यादि संबद्ध भर्ती अभिकरण अर्थात हिमाचल प्रदेश अधीनस्थ सेवाएं चयन बोर्ड, हमीरपुर द्वारा अवधारित किया जाएगा।

(V) संविदात्मक नियुक्तियों के लिये चयन समितिः

जैसी सम्बन्ध भर्ती अभिकरण अर्थात हिमाचल प्रदेश अधीनस्थ सेवाएं चयन बोर्ड, हमीरपुर द्वारा समय समय पर गढ़ित की जाए।

(VI) करार

अभ्यर्थी को चयन के पश्चात् इन नियमों से संलग्न उपाबन्ध – ''ख'' के अनुसार करार हस्ताक्षरित करना होगा।

(VII) निबन्धन और शर्तें

(क) संविदा पर नियुक्त व्यक्ति को 7810/– रूपए की नियत संविदात्मक रकम (जो पे बैण्ड के न्यूनतम जमा ग्रेड पे के बराबर होगी) प्रतिमास संदत्त की जाएगी। संविदा पर नियुक्त व्यक्ति आगे बढाए गए वर्षों के लिए संविदात्मक रकम में 240/– रूपए (पै बैन्ड के न्यूतम जमा ग्रेड पे का तीन प्रतिशत) की वृद्धि का हकदार होगा और अन्य कोई प्रसुविधाएं जैसे वरिष्ठ / चयन वेतनमान आदि नहीं दिया जाएगा।

(ख) संविदा पर नियुक्त व्यक्ति की सेवा पूर्णतया अस्थाई आधार पर होगी। यदि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति का कार्य /आचरण ठीक नहीं पाया जाता है, तो नियुक्ति समाप्त किए जाने के लिए दायी होगी।

(ग) संविदा पर नियुक्त व्यक्ति एक मास की सेवा पूरी करने के पश्चात एक दिन के आकस्मिक अवकाश का हकदार होगा। यह अवकाश एक वर्ष तक संचित किया जा सकेगा। संविदा पर नियुक्त व्यक्ति को किसी भी प्रकार का अन्य कोई अवकाश अनुज्ञात नहीं होगा। वह चिकित्सा प्रतिपूर्ति और एल0टी0सी0 इत्यादि के लिए भी हकदार नहीं होगा/होगी। केवल प्रसूति अवकाश, नियमानुसार दिया जाएगा।

(घ) नियन्त्रक अधिकारी के अनुमोदन के बिना सेवा में अनधिकृत अनुपस्थिति से स्वतः ही संविदा का पर्यावसान (समापन) हो जाएगा। संविदा पर नियुक्त व्यक्ति, कर्त्तव्य (डियूटी) से अनुपस्थिति की अवधि के लिए संविदात्मक रकम का हकदार नहीं होगा।

(ङ) संविदा के आधार पर नियुक्त कर्मचारी जिसने तैनाती के एक स्थान पर पांच वर्ष का कार्यकाल पूर्ण कर लिया हो, आवश्यकता के आधार पर स्थानातरण हेतु पात्र होगा, जहां भी प्रशासनिक आधारों पर से ऐसा करना अपेक्षित हो।

(च) चयनित अभ्यर्थी को सरकारी / रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसायी से अपना आरोग्य प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करना होगा। बारह सप्ताह से अधिक की गर्भवती महिला अभ्यर्थी, प्रसव होने तक अस्थाई तौर पर अनुपयुक्त बनी रहेगी। महिला अभ्यर्थियों का किसी प्राधिकृत चिकित्सा अधिकारी/ व्यवसायी द्वारा उपयुक्तता के लिए पुनः परीक्षण किया जाएगा।

(छ) संविदा पर नियुक्त व्यक्ति का यदि अपने पदीय कर्त्तव्यों के सम्बन्ध में दौरे पर जाना अपेक्षित हो, तो वह उसी दर पर जैसी नियमित प्रतिस्थानी कर्मचारी को वेतनमान के न्यूनतम पर लागू है, यात्रा भत्ते/ दैनिक भत्ते का हकदार होगा/होगी।

(ज) नियमित कर्मचारियों की दशा में यथा लागू सेवा नियमों के उपबन्ध जैसे एफ. आर0 एस. आर, छुट्‌टी नियम, साधारण भविष्य निधि नियम, पैंशन नियम तथा आचरण नियम आदि संविदा पर नियुक्त व्यक्तियों की दशा में लागू नहीं होगें। वे इस स्तम्भ में यथावर्णित उपलब्धियों इत्यादि के लिए हकदार होगे।

16	आरक्षण	:	सेवा में नियुक्ति, हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा समय– समय पर अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जन जातियों/ अन्य पिछड़े वर्गों और अन्य प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए सेवा में आरक्षण की बाबत जारी किए गए आदेशों के अधीन होगी।
17	विभागीय परीक्षा	:	लागू नहीं।
18	शिथिल करने की शक्ति	:	जहां राज्य सरकार की यह राय हो कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां यह कारणों को लिखित में अभिलिखित करके, हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के परामर्श से, आदेश द्वारा, इन नियमों के किन्हीं उपबन्ध (उपबन्धों) को किसी वर्ग या व्यक्तियों के प्रवर्ग या पद (पदों) की बाबत, शिथिल कर सकेगी।

उपाबन्ध–"ख"

संगणक–एवं–टंकक और हिमाचल प्रदेश सरकार के मध्य आयुक्त (जन जातीय विकास) के माध्यम से निष्पादित की जाने वाली संविदा/ करार का प्ररूप।

यह करार श्री/श्रीमति ....पुत्र/ पुत्री श्री... ....निवासी ....संविदा पर नियुक्त व्यक्ति (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'प्रथम पक्षकार' कहा गया है) और हिमाचल प्रदेश की राज्यपाल के मध्य आयुक्त, (जनजातीय विकास) हिमाचल प्रदेश (जिसे इसमें इसके पश्चात् द्वितीय पक्षकार कहा गया है) के माध्यम से आज तारीख..................................... को किया गया।

द्वितीय पक्षकार ने उपरोक्त प्रथम पक्षकार को लगाया है और प्रथम पक्षकार ने संगणक–एवं–टंकक के रूप में संविदा के आधार पर निम्नलिखित निबन्धन और शर्तो पर सेवा करने के लिए सहमति दी हैः–

1. यह कि प्रथम पक्षकार संगणक–एवं–टंकक के रूप में ....से प्रारम्भ होने और............. को समाप्त होने वाले दिन तक, एक वर्ष की अवधि के लिए द्वितीय पक्षकार की सेवा में रहेगा। यह विनिर्दिष्ट रूप से उल्लिखित किया गया है और दोनों पक्षकारों द्वारा करार पाया गया है कि प्रथम पक्षकार की द्वितीय पक्षकार के साथ संविदा आखिरी कार्य दिवस को अर्थात् .... दिन को स्वयंमेय ही पर्यवसित (समाप्त) हो जाएगी और सूचना नोटिस आवश्यक नहीं होगाः

   परन्तु वर्षानुवर्ष आधार पर संविदा अवधि में विस्तारण /नवीकरण के लिए विभागाध्यक्ष, यह प्रमाण–पत्र जारी करेगा कि वर्ष के दौरान संविदा कर्मचारी की सेवा और आचरण, संतोषजनक रहा है और केवल तभी उसकी संविदा अवधि का नवीकरण/विस्तारण किया जाएगा ।
2. प्रथम पक्षकार की संविदात्मक रकम नियत 7810/– रूपए प्रतिमास होगी।
3. प्रथम पक्षकार की सेवा पूर्णतया अस्थाई आधार पर होगी। यदि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति का कार्य/आचरण ठीक नहीं पाया जाता है या यदि नियमित पदधारी उस रिक्ति के विरूद्ध नियुक्त/तैनात कर दिया जाता है जिसके लिए प्रथम पक्षकार को लगाया गया है तो नियुक्ति समाप्त (पर्यवसित) की जाने के लिए दायी होगी।
4. संविदा पर नियुक्त व्यक्ति एक मास की सेवा पूरी करने के पश्चात् एक दिन के आकस्मिक अवकाश का हकदार होगा। यह अवकाश एक वर्ष तक संचित किया जा सकेगा। संविदात्मक संगणक–एवं–टंकक को किसी भी प्रकार का अन्य कोई अवकाश अनुज्ञात नहीं होगा। वह चिकित्सा प्रतिपूर्ति और एल0टी0सी0 इत्यादि के लिए भी हकदार नहीं होगा/होगी। केवल प्रसूति अवकाश, नियमानुसार दिया जाएगा।
5. नियन्त्रक अधिकारी के अनुमोदन के बिना कर्त्तव्यों से अनधिकृत अनुपस्थिति से स्वतः ही संविदा का पर्यावसान (समापन) हो जाएगा। संविदा पर नियुक्त व्यक्ति कर्तव्य (डियुटी) से अनुपस्थिति की अवधि के लिए संविदात्मक रकम का हकदार नहीं होगा।
6. संविदा के आधार पर नियुक्त कर्मचारी, जिसने तैनाती के स्थान पर पांच वर्ष का कार्यकाल पूर्ण कर लिया है, आवश्यकता के आधार पर स्थानान्तरण हेतु पात्र होगा, जहां भी प्रशासनिक आधार पर ऐसा करना अपेक्षित हो।
7. चयनित अभ्यर्थी को सरकारी /रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसायी से अपना आरोग्य प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। महिला अभ्यर्थियों की दशा में, बारह सप्ताह से अधिक की गर्भावस्था प्रसव होने तक उसे अस्थाई तौर पर अनुपयुक्त बना देगी। महिला अभ्यर्थियों का किसी प्राधिकृत चिकित्सा अधिकारी/ व्यवसायी द्वारा उपयुक्तता के लिए पुनः परीक्षण किया जाना चाहिए।

8. संविदा पर नियुक्त व्यक्ति का यदि अपने पदीय कर्तव्यों के सम्बन्ध में दौरे पर जाना अपेक्षित हो, तो वह उसी दर पर जैसी नियमित प्रतिस्थानी कर्मचारियों को वेतनमान के न्यूनतम पर लागू है, यात्रा भत्ते/ दैनिक भत्ते का हकदार होगा/होगी।

9. संविदा पर नियुक्त व्यक्ति(यों) को कर्मचारी सामूहिक बीमा योजना के साथ–साथ इ0पी0एफ0/ जी0पी0एफ भी लागू नहीं होगा।

इसके साक्ष्यस्वरूप प्रथम पक्षकार और द्वितीय पक्षकार ने साक्षियों की उपस्थिति में इसमें सर्वप्रथम उल्लिखित तारीख को अपने–अपने हस्ताक्षर कर दिए हैं।

साक्षियों की उपस्थिति में

1. ....

....

....

(नाम व पूरा पता)

2. ....

....

....

(नाम व पूरा पता) (प्रथम पक्षकार के हस्ताक्षर)

साक्षियों की उपस्थिति में

1 ....

....

....

(नाम व पूरा पता)

2 ....

....

....

(नाम व पूरा पता) (द्वितीय पक्षकार के हस्ताक्षर)